# मुसलमान औरतों के मसायल
# और
# उनका हल
## (23rd April to 7th May 2017 )

मुस्लिम पर्सनल लॉ बेदारी मुहिम
जमाअते-इस्लामी हिन्द

**JAMAAT-E-ISLAMI HIND**
**D-317,DAWAT NAGAR,ABUL FAZAL ENCLAVE,**
**JAMIA NAGAR,NEW DELHI-110025**
**Ph: 011-26951409,26941401,26948341**
**Fax: 011-26950975**
**E-mail : markazjih@gmail.com**
**Website : jamaateislamihind.org**

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

**विषय सूची**


| क्या | कहाँ |
|---|---|
| इस्लाम के मुख़ालिफ़ों के ए़तिराज़ात | 3 |
| मुस्लिम समाज का बिगाड़ | 4 |
| इस्लामी .ख़ानदान | 4 |
| आसान निकाह | 5 |
| घरेलू झगड़े और उनकी वजहें | 7 |
| झगड़ों को हल करने के तरीक़े | 11 |
| तलाक़ का नामुनासिब तरीक़ा और उसके नुक़सानात | 11 |
| ए़क से ज़्यादा निकाह करना (बहूपत्नीत्व) | 14 |
| औरत का हक़े-विरासत | 14 |
| हमारे करने का काम | 15 |



***Name of the Book***

**PROBLEMS FACING MUSLIM WOMEN AND THEIR SOLUTION**

**Pages : 16 Edition March 2017**

***Published by***

**Markazi Maktaba Islami Publishers**

**D-307,Dawat Nagar,Abul Fazl Enclave.Jamia Ngar,New Delhi-110025**

**Ph: 26981652,26984347 Fax : 26987858**

**Email : mmipublishers@gmail.com**

**Printed at D.P Printer & Binder,Okhla-1,New Delhi-2**





PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

इस्लाम एक मुकम्मल निज़ामे-हयात (पूर्ण जीवन व्यवस्था) है, जो ज़िन्दगी के तमाम मसलों पर बहस करता है और उनका सही हल पेश करता है, क्योंकि उसकी तालीमात किसी इनसान की नहीं बल्कि उस असल मालिक की दी हुई हैं जो पूरी कायनात का बनानेवाला है। उसी ने मर्द और औरत को बनाया। ज़िन्दगी गुज़ारने के तमाम क़ानून आसमानी किताबों के ज़रिए नाज़िल फ़रमाए और रसूलों के ज़रिए उनपर अमल करके दिखा दिया कि ये क़ानून इनसानी फ़ितरत (स्वभाव) के तक़ाज़ों को पूरा करने, उसे बाक़ी रखने और उसे विकसित करने का सामान करते हैं।

मर्द और औरत के बीच निकाह के ज़रिए मियाँ-बीवी का पाकीज़ा रिश्ता वुजूद में आता है और एक ख़ानदान की शुरूआत होती है। कई ख़ानदान मिलकर समाज बनाते हैं। इनसानों के सामने यह सवाल आता है कि यह समाज किन उसूलों और ज़ाबतों के तहत ज़िन्दगी गुज़ारे कि उसमें हर शख़्स के अधिकारों और ज़िम्मेदारियों में सन्तुलन बना रहे। इन उसूलों और सिद्धान्तों को इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम (पारिवारिक व्यवस्था) कहते हैं। इस निज़ाम का बुनियादी मक़सद औरत और मर्द की शख़्सियत का मुकम्मल इर्तिक़ा (पूर्ण विकास) करना, एक पाकीज़ा समाज बनाना और उच्च मानव-सभ्यता की स्थापना करना है।

## इस्लाम के मुख़ालिफ़ों के एतिराज़ात

हमारे देश की एक बड़ी आबादी को इस्लाम के बारे में बहुत सरसरी सी मालूमात होती हैं। वे इस्लाम की ख़ानदानी तालीमात को औरतों के लिए ज़ालिमाना मानते हैं। कुछ लोग इस्लाम की तालीमात को न जानने की वजह से ग़लतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं तो कुछ जान-बूझकर उन तालीमात पर एतिराज़ करते हैं।

इस्लाम की ख़ानदानी तालीमात पर समय-समय पर एतिराज़ात होते रहते हैं। आजकल तीन तलाक़, मर्द का एक से ज़्यादा शादियाँ करना (बहुपत्नीत्व) और हलाला को लेकर पूरे देश में मीडिया के ज़रिए ग़लतफ़हमियाँ फैलाई जा रही हैं और यह समझाने की कोशिश की जा



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

रही है कि इस्लाम में मुसलमान औरतों को बराबर के अधिकार हासिल नहीं हैं। दूसरी तरफ़ कुछ इस्लामी तालीमात से अनजान और ग़ैर-ज़िम्मेदार मुसलमान औरतों ने अदालत में मुक़द्दिमा दायर कर रखा है कि एक से ज़्यादा निकाह और तीन तलाक़ पर पाबन्दी लगाई जाए, क्योंकि इसकी वजह से औरतों पर ज़ुल्म हो रहा है।

## मुस्लिम समाज का बिगाड़

इस्लाम की ख़ानदानी तालीमात पर एतिराज़ात की अहम वजह मौजूदा मुस्लिम समाज का बिगाड़ है। मुसलमानों की दीन से दूरी और जहालत की वजह से बहुत-सी ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं, जैसे निकाह को आसान बनाने के बजाए फ़ुज़ूलख़र्ची और बेजा रस्मों को इख़्तियार करके मुश्किल बना दिया गया है। बहुत मामूली-मामूली वजहों से शादी-शुदा ज़िन्दगियों में कड़ुवाहटें आ जाती हैं, जो इस हद तक बढ़ती हैं कि मर्द एक ही वक़्त में तीन तलाक़ दे बैठता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में एक बसा-बसाया घर उजड़ जाता है, बच्चे माँ-बाप के बीच तक़सीम हो जाते हैं।

फिर जब मियाँ-बीवी के दोबारा एक होने की सूरत बाक़ी नहीं रहती तो हलाले के नाजायज़ तरीक़े को अपनाया जाता है। एक से ज़्यादा बीवियाँ होने की सूरत में बीवियों के बीच इनसाफ़ से काम नहीं लिया जाता। मुस्लिम समाज का एक बिगाड़ यह भी है कि इसमें औरत को विरासत से बिलकुल ही महरूम रखा जाता है और उसे अपने माँ-बाप और दूसरे क़रीबी रिश्तेदारों की मीरास में से कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जाता जबकि यह उसका हक़ है। जिसको क़ुरआन ने खोल-खोलकर बयान किया है।

## इस्लामी ख़ानदान

इस्लाम का ख़ानदानी निज़ाम इनसानियत के लिए रहमत है। इसकी शुरूआत ख़ानदान से होती है, जिसमें हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह अंजाम देता हो, आपस में एक-दूसरे के हक़ों को अदा किया जाता हो और तरक़्क़ी और आगे बढ़ने के सबको बराबर मौक़े हासिल हों। लोगों की तादाद और रहन-सहन के



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

तौर-तरीक़ों के एतिबार से ख़ानदान छोटे-बड़े हर तरह के होते हैं। जैसे छोटा ख़ानदान या साझा ख़ानदान (संयुक्त परिवार)। छोटे ख़ानदान में आदमी अपनी बीवी-बच्चों के साथ रहता है। कभी माँ-बाप और कुछ क़रीबी रिश्तेदार भी उसका हिस्सा होते हैं, जबकि साझा ख़ानदान में माँ-बाप अपने बेटों और उनकी बीवी बच्चों के साथ मिलकर रहता है।

इस्लामी तालीमात के मुताबिक़ ख़ानदान का मुखिया मर्द है। औरत अपने शौहर के घर और औलाद की निगराँ होती है और वह उसके बारे में जवाबदेह (उत्तरदायी) होगी। यानी औरत घर की मुन्तज़िमा या प्रबन्धक है। उसकी ज़िम्मेदारी है कि अगर घर में अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी हो रही हो तो उसे रोकने की कोशिश करे। यह उसी सूरत में मुमकिन है जब औरत एक सच्ची मोमिना और मुस्लिमा हो। आज समाज में जो ग़ैर-शरई रस्मो-रिवाज आम हैं वे दीन से अनजान औरतों की वजह से हैं। अगर एक मुसलमान औरत यह ठान ले कि मेरे घर में इस्लामी तालीमात के तहत ही तमाम काम होंगे तो वह घर को एक मिसाली ख़ानदान बना सकती है।

## आसान निकाह

इस्लामी तालीमात हमें यह रहनुमाई करती हैं कि लड़की के निकाह के वक़्त इस बात का ख़याल रखा जाए कि लड़का दीनदार हो, सिर्फ़ दौलत और ऊँची डिगरियों ही को न देखा जाए, बल्कि उसका अख़लाक़ व किरदार पाकीज़ा हो और वह बुलन्द हौसला रखनेवाला और बड़े दिलवाला हो, ताकि वह ज़िन्दगी के उतार-चढ़ाव को सब्र, पक्के इरादे और ख़ुशी के साथ बरदाश्त कर सके और घर के माहौल को ख़ुशगवार बनाने की कोशिश करे।

इसी तरह लड़की के चुनाव में भी इसी मेयार को सामने रखा जाए। सिर्फ़ माल-दौलत, हुस्न व जमाल, ओहदे और पद की बुनियाद पर शादी न की जाए, बल्कि सीरत व किरदार, अख़लाक़ और अच्छी आदतों और दीनदारी को तरजीह (प्राथमिकता) दी जाए। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि ''औरत से निकाह चार वजहों से किया



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

जाता है : माल व दौलत, हसब व नसब (वंश और नस्ल), ख़ूबसूरती और दीनदारी। तुम किसी दीनदार औरत से निकाह करो।'' (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

आप (सल्ल॰) ने यह बात इसलिए फ़रमाई कि आज का सही चुनाव एक बेहतर मुस्तक़बिल की ज़मानत है। नेक और बासलाहियत औलाद माँ-बाप की आँखों की ठंडक और माँ-बाप और ख़ानदानवालों के लिए सवाबे-जारिया बनती है। जोड़े (लड़का या लड़की) के चुनाव के बाद जो हिदायत दी गई है, वह यह कि निकाह सादगी के साथ हो, लेकिन देखा गया है कि निकाह के मौक़े पर अमीर हो या ग़रीब सिर्फ़ नाम और दिखावे के लिए बेझिझक माल ख़र्च करते हैं जबकि प्यारे नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि ''सबसे बाबरकत निकाह वह है जिसमें कम से कम ख़र्च हो।'' (हदीस : बैहक़ी)

लेकिन आज सबसे बेहतर निकाह वह माना जाता है जिसमें फ़ख़्र, शेख़ी और दिखावे के साथ ढेर सारी रक़म ख़र्च की जाए और वक़्त की बरबादी हो। निकाह को महज़ नाजायज़ उमंगों और अरज़ुओं की तकमील का मौक़ा समझ लिया गया है और इस मौक़े पर तरह-तरह की रस्में ईजाद कर ली गई हैं, जैसे मँगनी, सलामी, शादी कार्ड, मायूँ बिठाना, जूता चुराई और मुँह दिखाई आदि। बारात को भी निकाह का अहम हिस्सा समझ लिया गया है। कभी लड़केवाले बारात ले जाने की ज़िद करते हैं और जबरन बेहतरीन रिसेप्शन की माँग करते हैं तो कभी लड़कीवाले दिखावा करने और फ़ख़्र जताने के लिए बारात बुलाने की ज़िद करते हैं, जबकि यह रस्म सरासर ग़ैर-इस्लामी है। यह अमल एक-दूसरे का माल बातिल तरीक़े से खाने के बराबर है। अल्लाह का फ़रमान है -

> ''आपस में एक-दूसरे के माल बातिल तरीक़े से मत खाओ।'' (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-188)

एक और नापसन्दीदा और बुरी रस्म जहेज़ की है। किसी घर में लड़की जन्म लेती है तो उसी दिन से माँ-बाप अपनी आन और बेटी



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

की जान बचाने के लिए जहेज़ की तैयारी में लग जाते हैं। इस जहेज़ ने न जाने कितनी लड़कियों को मारा है। इस माँग में ज़्यादातर औरतों ही की ज़िद होती है। जहेज़ की कमी की वजह से लड़की की ज़िन्दगी अजीरन बना दी जाती है। उठते-बैठते उसपर लान-तान के तीर बरसाए जाते हैं। इसके मुक़ाबले में महर की अदायगी में कोताही बरती जाती है, जबकि महर को लाज़िम किया गया है। अल्लाह का फ़रमान है -

''तुम औरतों के महर ख़ुशदिली से अदा करो।''

(क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-4)

हमारे समाज में जोड़े-घोड़े के बारे में तो तफ़सीलात तय की जाती हैं और ज़्यादा-से-ज़्यादा लेन-देन होता है, लेकिन महर को जैसे-तैसे मुक़र्रर कर लिया जाता है, चुनांचे महर की रक़म या तो बहुत मामूली मुक़र्रर की जाती है या बहुत ज़्यादा, कभी-कभी झूठे वक़ार और बड़प्पन को ज़ाहिर करने के लिए बहुत ज़्यादा महर तय कर लिया जाता है, अदा करने की नियत से नहीं, बल्कि माफ़ करवा लेने के मक़सद से।

इस्लाम में 'महरे-मुअज्जल' यानी निकाह के बाद फ़ौरन महर अदा करने को बेहतर ठहराया गया है। लेकिन देखा गया है कि अगर कोई मर्द शादी के मौक़े पर ही महर को अदा करना चाहे तो समाज में उसे शक की निगाह से देखा जाता है कि उसकी नियत ठीक नहीं लगती। वह बीवी को छोड़ने का या दूसरी शादी करने का इरादा रखता है।

## घरेलू झगड़े और उनकी वजहें

जब एक लड़की निकाह के बाद नए घर में आती है तो उसका वास्ता अपने शौहर के साथ-साथ उसके घर के दूसरे लोगों से भी पड़ता है, जैसे सास, ससुर, ननद, जिठानी और देवरानी वग़ैरा। इन रिश्तों में सबसे नाज़ुक और अहमियत रखनेवाला रिश्ता सास-बहू का होता है, जो पहले ही दिन से ही झगड़े का शिकार होता है। अगर ग़ौर से जायज़ा लेकर देखा जाए तो बात सामने यह आती है कि इस झगड़े की बुनियादी वजह एक ही शख़्स से दोनों का क़रीबी ताल्लुक़ होता है, जो दोनों की उम्मीदों और आशाओं का केन्द्र होता है। एक तरफ़ माँ



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

होती है, जिसे उससे बेपनाह मुहब्बत और फ़ितरी व स्वाभाविक लगाव होता है, तो दूसरी तरफ़ बीवी होती है, जो अपने माँ-बाप का घर और माहौल छोड़कर नए माहौल में आती है तो उम्मीद करती है कि शौहर उसकी .ख़ुशी का हर वक़्त .ख़याल रखेगा। झगड़े की दूसरी वजह सास के तहतश्शुऊर (Subconscious) में यह बात चल रही होती है कि उसने भी कभी बहू बनकर दिन गुज़ारे हैं। वह हर बात में अपने पुराने ज़माने और बहू के मौजूदा हाल की तुलना करती है। तीसरी वजह सत्ता और अधिकार है। सास चाहती है कि बहू मेरे इशारों पर चले, यहाँ तक कि कहीं आने-जाने, खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने में भी मुझसे इजाज़त ले और बहू को अपनी ज़िन्दगी में सास की दख़ल अन्दाज़ी बुरी लगती है। एक और वजह बदगुमानी, भरोसे का न होना और एक अनजाना सा डर होता है कि बहू बेटे से .ज़्यादा क़रीब होकर कहीं हमें उससे दूर न कर दे, इसलिए बदगुमानी की वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं। सास के दिल में यह डर भी रहता है कि बहू हमारे बेटे की कमाई और घर की चीज़ें मैके या इधर-उधर न भेज दे। इसलिए वह बहू को शक की नज़र से देखती है।

अच्छी पढ़ी-लिखी बहुओं के लिए पुराने .ख़यालों की सास बड़ा मसला होती है। कभी-कभी जहालत और कम इल्मी भी झगड़े की वजह बन जाती है। .ज़्यादातर सास-बहू में कोई अपनी दौलत, शक्ल व सूरत, .ख़ानदानी फ़ख़्र और अच्छी व ऊँची तालीम की वजह से एहसासे-बरतरी का शिकार होती है, चुनांचे वह दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है।

बहू-बेटी के बीच भेदभाव और बेटी के साथ तरजीही सुलूक भी झगड़े की अहम वजह होती है। बेटियों को बहुओं पर तरजीह या प्राथमिकता दी जाती है और उन्हीं के राय मशवरे से पूरा घर चलता है। कई बहुओं के बीच किसी एक बहू को तरजीह देना और उनके बीच न्याय और इनसाफ़ न करना भी झगड़े की वजह बनता है। ऐसा भी होता है कि कुछ बहुएँ बदअ.खलाक़ होती हैं, वे सास और ननद को परेशान करने में फ़ख़्र महसूस करती हैं। ननद पर बिला वजह रौब



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

जमाती हैं। वे मर्द को अपना शौहर और अपने बच्चों का बाप समझती हैं। वे यह भूल जाती हैं कि मेरा शौहर किसी का बेटा और किसी का भाई भी है। इस मामले में आम तौर से शौहर भी बराबर का ज़िम्मेदार होता है। उसकी मुहब्बत और प्यार अपने बीवी बच्चों की तरफ़ होती है और कमज़ोर बूढ़े माँ-बाप की उसके नज़दीक वह अहमियत नहीं रह जाती जो पहले थी। सास-बहू के झगड़े में आम तौर से फ़ख्र, ग़ुरूर, झूठ, चुग़लख़ोरी, ग़ीबत, इल्ज़ाम लगाना, टोह में पड़ना, हसद, जलन, ईर्ष्या, दुश्मनी, नाइनसाफ़ी और असमानता जैसी बुराइयाँ जन्म लेती हैं, जो घरवालों के लिए दुनिया और आख़िरत में ज़िल्लत व रुस्वाई की वजह बन जाती हैं।

अगर सास अपने गुज़रे हुए ज़माने में झाँककर सही तरीक़े से उसे देखे और तामीरी (Positive and Constructive) रवैया इख़्तियार करे और बहू अच्छे अख़लाक़ और अमल से अपने ससुराली रिश्तेदारों का दिल जीत ले और बेटा इनसाफ़ के साथ माँ-बाप और बीवी के हक़ अदा करे, तो घर जन्नत का एक नमूना बन जाएगा।

घरेलू झगड़ों की एक और वजह साझा ख़ानदानी निज़ाम होता है। एक साथ रहने की वजह से कई बार एक-दूसरे पर ज़्यादतियाँ हो जाती हैं। कई बार घर के लोगों की बेजा दख़ल-अन्दाज़ी मियाँ-बीवी की ज़िन्दगी में इस हद को पहुँच जाती है कि मर्द जज़्बातियत का शिकार होकर तीन तलाक़ का क़दम उठा बैठता है।

शादी-शुदा ज़िन्दगी में नाइत्तिफ़ाक़ी की एक और वजह 'ग़ुस्सा' होता है। शौहर अपनी बीवी के किसी रवैये पर ग़ुस्सा होता है तो उस वक़्त बीवी को चाहिए कि वह ज़बान न चलाए। कुछ वक़्त के लिए ख़ामोश हो जाए और शौहर का ग़ुस्सा ठण्डा होने पर उससे बातचीत करे। और शौहर को चाहिए कि वह नरमी और क्षमा का रवैया अपनाए, कभी बीवी को ग़ुस्सा आ जाए तो सब्र और बरदाश्त से काम ले। कभी-कभी लड़की के मैकेवालों की बेजा दख़ल अन्दाज़ी और लड़की का अपने माँ-बाप को ससुराली रिश्तेदारों के नामुनासिब रवैये की ख़बर देना और उसे बरदाश्त न करना भी घरेलू झगड़ों की एक



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

वजह बनता है।

घरेलू झगड़ों की एक और वजह माली ज़िम्मेदारी है। घर का ख़र्च चलाने की ज़िम्मेदारी तो मर्द की होती है, लेकिन बहुत-से घरानों में कमानेवाली बहू लाने को तरजीह दी जाती है और उसकी पूरी कमाई पर शौहर अपना हक़ समझता है। औरत अपनी मर्ज़ी से ख़र्च नहीं कर सकती। बहुत-से घरानों में अच्छी तालीम पाई हुई बहुएँ नौकरी करना चाहती हैं और शौहर के लिए ये नाक़ाबिले-क़बूल होता है जो झगड़े की वजह बनता है।

हमारे समाज में यह भी देखा गया है कि बहुत-सी औरतें अपने शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की घरेलू हिंसा को बरदाश्त कर लेती हैं तो बहुत-सी औरतें मौजूदा दौर में लागू क़ानूनों का ग़लत इस्तेमाल करके शौहर और ससुराली रिश्तेदारों को परेशान करती हैं। बहुत-सी जगहों पर बहू को नौकरानी समझा जाता है और घर के सारे काम काज का बोझ उसपर डाल दिया जाता है तो बहुत-से घरानों में बहुएँ घर के काम को अपने लिए मुसीबत समझती हैं।

शादी-शुदा ज़िन्दगी का यह सारा असन्तुलन इस्लाम की तालीमात पर अमल न करने की वजह से होता है। कभी-कभी बीवी पर और कभी-कभी शौहर पर ज़ुल्म व ज़्यादती होती है। अगर शौहर और बीवी दोनों इस्लाम के दिए हुए हुक़ूक़ और ज़िम्मेदारियों को तवाज़ुन और सन्तुलन के साथ अदा करें तो इन घरेलू झगड़ों से नजात मिल सकती है। मुस्लिम समाज में अल्लाह के हक़ को अदा करने के सिलसिले में तो आमादगी और तड़प पाई जाती है, लेकिन बन्दों के हक़ों से बेपरवाही बरती जाती है, जब कि ख़ानदानी ज़िन्दगी में इनसानों का आपस में एक-दूसरे से गहरा ताल्लुक़ होता है। इस मामले में एहसान की रविश को अपनाने पर ज़ोर दिया गया है।

## झगड़ों को हल करने के तरीक़े

मियाँ-बीवी के बीच उतार-चढ़ाव आते हैं, एक-दूसरे से शिकायतें होती हैं, कुछ तकलीफ़ भी पहुँचती है। अगर शौहर को बीवी के किसे रवैये से तकलीफ़ पहुँचे तो उसे सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए,



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

उसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह का फ़रमान है -

> ''औरतों के साथ भले तरीक़े से ज़िन्दगी बसर करो। अगर वे तुम्हें नापसन्द हों तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसन्द न हो, मगर अल्लाह ने उसमें बहुत कुछ भलाई रख दी हो।'' (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-19)

यानी यह बात पसन्दीदा नहीं है कि मर्द मियाँ-बीवी के ताल्लुक़ को .ख़त्म करने में जल्दबाज़ी से काम ले, बल्कि उसे चाहिए कि औरत को समझाए-बुझाए, इससे भी शिकायतें दूर न हों तो, बिस्तर से अलग हो जाए, ज़रूरत के मुताबिक़ हल्की तंबीह भी कर सकता है। मियाँ-बीवी के इख़्तिलाफ़ात उनकी इनफ़िरादी कोशिश से हल न हो सकें तो दोनों के क़रीबी रिश्तेदारों को उनके दरमियान सुलह-सफ़ाई करवाने और उनके ताल्लुक़ात को मामूल पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी झगड़ा .ख़त्म न हो सके और मर्द और औरत के बीच नफ़रत क़ायम रहे तो इस्लाम ने मर्द को तलाक़ का हक़ दिया है, इसी तरह औरत को भी अलग होने के लिए .ख़ुला, फ़िस्खे-निकाह, मुबारात और तफ़वीज़े-तलाक़ के हुक़ूक़ दिए हैं। लेकिन आप (सल्ल॰) ने यह ताकीद भी की है कि ''औरत सख़्त तकलीफ़ के बग़ैर अपने शौहर से तलाक़ माँगे यानी .ख़ुला ले तो उसपर जन्नत की .ख़ुशबू हराम है।'' (हदीस : अबू-दाऊद)

## तलाक़ का नामुनासिब तरीक़ा और उसके नुक़सानात

मर्द और औरत के बीच अलग होने के लिए सिर्फ़ एक तलाक़ काफ़ी है। एक ही वक़्त में तीन तलाक़ देना सख़्त गुनाह और क़ुरआन के बताए हुए तरीक़े के ख़िलाफ़ है। ऐसा करनेवाला गुनाहगार और अल्लाह और उसकी नाराज़गी का हक़दार होता है। तलाक़ के ग़ैर-शरई तरीक़े से मर्द अपना हक़े-रजअत (यानी पलट आने या दोबारा निकाह कर लेने का हक़) खो बैठता है।

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को एक शख़्स के बारे में .ख़बर मिली कि उसने अपनी बीवी को एक साथ तीन तलाक़ दे दी हैं तो आप



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

(सल्ल॰) सख़्त ग़ुस्से की हालत में खड़े हो गए और फ़रमाया, ''मेरी मौजूदगी में अल्लाह की किताब से खिलवाड़ किया जाएगा?'' (यानी एक साथ तीन तलाक़ देना अल्लाह की किताब (क़ुरआन) के साथ गुस्ताख़ाना खेल और मज़ाक़ है, क्योंकि इसमें तलाक़ का तरीक़ा और क़ानून पूरी वज़ाहत के साथ बयान किया गया है।) (हदीस : नसाई)

मामूली बातों और ग़ुस्से में तलाक़ दे बैठना मुनासिब रवैया नहीं है। याद रखना चाहिए कि जिस तरह निकाह के वक़्त ईजाब व क़बूल के दो बोल कहकर अजनबी मर्द-औरत शादी के बन्धन में बन्धते हैं इसी तरह तलाक़ देने से यह मज़बूत रिश्ता ख़त्म भी हो जाता है।

तलाक़ का असर एक आदमी तक नहीं रहता और न सिर्फ़ इससे दो लोग मुतास्सिर होते हैं, बल्कि इससे ख़ानदान की इकाई टूट जाती है फिर नफ़रत और दुश्मनी दोनों ख़ानदानों तक पहुँचती है। नई नस्ल की बुनियाद हिल जाती है और धीरे-धीरे पूरा समाज टूट-फूट का शिकार हो जाता है।

एक ही समय में तीन तलाक़ के दे दिए जाने के मसले पर समाज का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि इससे औरत ज़्यादा मुतास्सिर होती है। अचानक उसका ठिकाना छिन जाता है। अगर उसके माँ-बाप मौजूद हों तो वे उसे ले जाते हैं या औरत उसके घर से निकलने पर मजबूर हो जाती है। माँ-बाप या बाप ज़िन्दा न हों तो और भी ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। तलाक़ पाई औरत को समाज में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, उसे बुरा-भला कहते हैं और ताने दिए जाते हैं। उसकी दूसरी शादी बहुत मुश्किल होती है। अगर बच्चे हों तो वे माँ के साथ रहना चाहते हैं और माँ की ममता भी बच्चों को अपने से जुदा होने नहीं देती। इस्लामी तालीमात के मुताबिक़ तलाक़ पाई हुई औरत को इद्दत के बाद नफ़क़ा (खाना-ख़र्चा) नहीं मिलता। लेकिन औलाद की कफ़ालत बाप के ज़िम्मे होती है, मगर अमली तौर से उसे वहाँ भी ख़र्च बहुत कम दिया जाता है या दिया ही नहीं जाता।

यह तो बीच के तबक़े की सूरते-हाल है, इससे भी ज़्यादा बुरे और



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

बिगड़े हालात झुग्गी-झोंपड़ी में रहनेवाली औरतों के होते हैं। वे दिन भर मेहनत-मज़दूरी करके कुछ पैसे कमाती हैं, तो शराबी-जुआरी शौहर उसको मार-पीटकर रक़म छीन लेता है। बुनियादी ज़रूरतों से महरूमी, तालीम की कमी और शौहर के शराब पीने और दूसरी बुरी आदतों की वजह से औरतें मार-पीट और हिंसा का शिकार होती हैं।

ज़्यादातर औरतों को इन मसलों का हल मालूम नहीं रहता। कुछ औरतें जहालत और कुछ न जानने की वजह से इन मसलों के हल के लिए पुलिस और अदालतों के चक्कर काटती हैं या किसी NGO से राब्ता करती हैं, जहाँ उनकी ग़लत रहनुमाई होती है। केस दर्ज होते हैं, उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वकील भारी फ़ीस लेते हैं। तारीख़ पर तारीख़ मिलती है। केस को मज़बूत करने के लिए दोनों पक्ष झूठ का सहारा लेते हैं। केस की तफ़सीलात आम होती हैं तो मुख़ालिफ़ों को इस्लाम की ख़ानदानी तालीमात के ख़िलाफ़ उंगली उठाने का मौक़ा मिलता है और मीडिया ऐसे वाक़िआत को ख़ूब कवरेज देता है और इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम को औरत पर ज़ुल्म ठहरा देता है।

मुस्लिम समाज में इन मसलों के हल के लिए कोई शरई निज़ाम नहीं है। यह वक़्त की अहम ज़रूरत है कि मोहल्लों का सर्वे करके ख़ानदानी और समाजी हालात मालूम किए जाएँ। हर जगह कोंसलिंग सैंटर्स, शरई पंचायतें और दारुलक़ज़ा का इन्तिज़ाम किया जाए, ताकि इस सूरते-हाल पर क़ाबू पाया जा सके और इस्लाम की तालीमात को मुसलमान जान सकें और अपने मसायल को क़ुरआन व सुन्नत की रौशनी में हल कर सकें।

## एक से ज़्यादा निकाह करना (बहुपत्नीत्व)

इस्लाम के ख़ानदानी क़ानून फ़ितरी और स्वाभाविक हैं जो शख़्स, ख़ानदान और समाज के लिए रहमत हैं। एक से ज़्यादा निकाह करना भी उन ही क़ानूनों का हिस्सा है। अल्लाह ने क़ुरआन में इसकी इजाज़त दी है, हुक्म नहीं। और इसके लिए इनसाफ़ को लाज़िम ठहरा दिया गया है। इंसाफ़ न कर सकने की सूरत में एक बीवी ही रखने



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

का हुक्म दिया गया है। एक से अधिक निकाह की इजाज़त का एक पहलू समाज में मौजूद तलाक़ पाई हुई, बेवा और बेसहारा औरतों को सहारा देने के लिए ही है, ताकि यह तबक़ा अपनी फ़ितरी ख़ाहिशात को जायज़ हदों में रहकर पूरा कर सके। इसके लिए कोई नाजायज़ क़दम उठाकर समाज को गन्दा न करे।

एक से ज़्यादा बीवियों की इजाज़त मर्दों को अय्याशी का मौक़ा देने के लिए नहीं, बल्कि यह मर्दों की ज़िम्मेदारियों में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा है कि इसके ज़रिए उनपर कई बीवियों के बीच इनसाफ़, एक जैसा बर्ताव, अच्छा सुलूक और एक से ज़्यादा बीवियों, बच्चों के ख़र्च की ज़िम्मेदारी लागू होती है। शादी करके मर्द बीवी बच्चों का ख़र्च, उनके साथ अच्छे सुलूक और उनकी जिस्मानी व रूहानी परवरिश के लिए फ़िक्रमन्द होता है इसके बरख़िलाफ़ जिसे अय्याशी करनी होती है तो उसके लिए ज़्यादा आसान है कि वह निकाह के बग़ैर मुख़्तलिफ़ औरतों से चोरी-छुपे जिंसी ताल्लुक़ात क़ायम करे। इस तरह उसे न किसी के लिए खाना-कपड़ा, मकान का बन्दोबस्त करना पड़ेगा, न किसी की सिहत और तालीम व तरबियत के लिए फ़िक्रमन्द होना पड़ेगा।

## औरत का हक़े-विरासत

इस्लाम ने विरासत में औरत का भी हिस्सा तय किया है। यह हिस्सा बहुत-सी सूरतों में मर्द के बराबर और बहुत-सी सूरतों में मर्द का आधा है। जिन सूरतों में औरत को मर्द के आधे हिस्से के बराबर मिलता है, उसकी हिकमत यह है कि औरत पर किसी तरह के ख़र्च की ज़िम्मेदारी नहीं है। जबकि इसके मुक़ाबले में मर्द पर कई तरह की माली ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उसको निकाह के वक़्त महर देना होता है, बीवी बच्चों, बहनों और माँ-बाप की कफ़ालत करनी पड़ती है।

हमारे समाज में औरत को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। उसकी दलील यह दी जाती है कि लड़की के निकाह के वक़्त उसे जहेज़ की शक्ल में उसका हिस्सा दे दिया जाता है। ज़रूरत है कि जहाँ एक तरफ़ जहेज़ की बुरी रस्म को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, वहीं विरासत में औरतों का जो हिस्सा शरीअत ने मुक़र्रर किया है,



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

उससे उन्हें महरूम न किया जाए और ख़ुशदिली के साथ उसको अदा किया जाए।

## हमारे करने के काम

1. सबसे पहला काम इल्मी और फ़िकरी तैयारी है। हमारी औरतों को चाहिए कि क़ुरआन और हदीस को समझकर पढ़ें और ख़ास तौर पर इस्लामी ख़ानदानी तालीमात को गहराई के साथ जानें और उसी के मुताबिक़ ख़ुशगवार ताल्लुक़ात को बढ़ाने की कोशिश करें।

2. दूसरा काम औलाद की तरबियत का है। उनकी जिस्मानी परवरिश के साथ-साथ रूहानी तरबियत की तरफ़ मुतवज्जेह हों। अपनी औलाद में अल्लाह के हाज़िर व नाज़िर होने और आख़िरत की जवाबदेही का एहसास पैदा करें और जब वे शादी की उम्र को पहुँच जाएँ तो उन्हें इस्लाम की ख़ानदानी तालीमात सिखाएँ।

3. आसान निकाह को रिवाज दिया जाए और बेजा रस्मों और रिवाजों से बचा जाए।

4. कौंसलिंग सैंटर्स, शरई पंचायतें और दारुलक़ज़ा के क़ियाम की कोशिश की जाए। अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों, दोस्त-अहबाब और मोहल्ले में कहीं घरेलू झगड़े हो जाएँ तो उन्हें कौंसलिंग सैंटर्स, दारुलक़ज़ा और शरई पंचायतों से हल करवाएँ।

5. मौजूदा हालात पर नज़र रखें इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ जो ग़लतफ़हमियाँ फैलाई जा रही हों, उनका दलीलों के साथ जवाब दें।

6. प्यारे नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया जो पड़ौसी दीन का इल्म जानते हों वे उन पड़ौसियों को दीन का इल्म सिखाएँ जो दीन का इल्म नहीं रखते। और जो पड़ौसी दीन का इल्म नहीं रखते उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन पड़ौसियों से दीन का इल्म सीखें जो दीन का इल्म रखते हैं।

इस हदीस में दीन का इल्म रखनेवालों और न रखनेवालों को मुतवज्जेह किया गया है कि वे अपने पड़ोसियों को इस्लाम की तालीमात पहुँचाएँ। पड़ौस और मोहल्ले में दीनी इज्तिमाआत हो रहे हों तो उसमें शिरकत करें और अगर कोई ऐसा इन्तिज़ाम न हो तो ख़ुद



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

दीनी इज्तिमाआत शुरू करें।

7. इज्तिमाई ज़िन्दगी गुज़ारें (यानी मिलजुलकर रहें), क्योंकि प्यारे नबी (सल्ल॰) ने इनफ़िरादी या अकेले ज़िन्दगी गुज़ारने के बजाए इज्तिमाइयत के साथ रहने की ताकीद की है।

8. अपने शहर या गाँव में पाए जानेवाले पिछड़े इलाक़ों का सर्वे करें। वहाँ की .ख़ानदानी ज़िन्दगी, सामाजिक मसायल, सिहत, सफ़ाई, रोज़गार और माली सूरते-हाल का जायज़ा लें और उसे हल करने की कोशिश करें।

9. अच्छे पढ़े-लिखे तबक़े, बीच के तबक़े और अनपढ़ तबक़े सब में इस्लाम की .ख़ानदानी तालीमात को पहुँचाने की मंसूबा बन्दी करें।

10. मोहल्ले की मस्जिदों में औरतें शरीक होना चाहती हों तो उनके लिए सहूलत देने के सिलसिले में मस्जिद की कमैटी के ज़िम्मेदारों को तवज्जोह दिलाएँ ताकि औरतें वहाँ इस्लामी तालीमात, इबादात और अपने मसलों को आलिमों तक पहुँचा सकें और उनका हल क़ुरआन व सुन्नत की रौशनी में मालूम कर सकें।



PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com